प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

सभी डी0डी0ओ0, (प्रति सलंग्न)
श्रम विभाग, हरियाणा।

कमांकः स्था/03/2017/296-347
दिनांकः 4-1-18.

विषयः— **(i) Engagement of Apprentices under Apprenticeship Act-1961.**
(ii) Payment of stipend to the apprentices engaged under Apprenticeship Act-1961/National Apprenticeship Promotion Scheme, Government of India.

उपरोक्त विषय पर निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण से प्राप्त मैमो न0 **TA/NAPS/2016/Stipend/1489-91** दिनांक 02.01.2018 के सन्दर्भ में ।

विषय सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा राज्य के विभागों में 15,000 शिक्षु नियुक्त करने के लिये वर्तमान वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान स्टाईफंड भुगतान हेतु 31.64 करोड रूपये का बजट प्रावधान किया है, उनके विभाग के बजट हैड में सभी विभागों में लगे शिक्षुओं को स्टाईफंड का भुगतान हेतु यह बजट रखा गया है। उनके विभाग द्वारा उपरोक्त बजट का वितरण करने हेतु राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय आई0टी0आई0 संस्थानों के प्रधानाचार्य जोकि सहायक शिक्षुता सलाहकार घोषित है, को उनके जिले में विभागो के संबधित कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय में लगे शिक्षुओ की सलंग्न प्रोफार्मा में विस्तृत सूचना, कान्ट्रैक्ट बॉड, आधार कार्ड की प्रति, हरियाणा स्थाई निवासी प्रमाण पत्र एंव बैंक खाता पासबुक की प्रति सहित, जिले के सहायक शिक्षुता सलाहकार को प्रेषित करेंगे तथा सहायक शिक्षुता सलाहकार योग्य शिक्षुओं को उनके स्टाईफंड की राशि शिक्षुओं के आधार सीडीड बैंक खाते में ऑनलाईन भेजेंगे। केवल सरकारी विभागों में दिनांक 01.12.2017 के बाद से नियुक्त शिक्षुओं को ही उनके विभाग द्वारा निर्धारित स्टाईफंड का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सूचित किया गया है कि सभी विभाग कार्यालयों में स्टाईफंड राशि भुगतान संबधी एक विशेष रजिस्टर लगाकर प्रत्येक शिक्षु का विवरण दर्ज कर पूर्ण रिकार्ड रखेगें। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि विभाग में नियुक्त शिक्षुओं के स्टाईफंड वितरण हेतु उपरोक्त अनुसार संबधित जिला मुख्यालय पर सहायक शिक्षुता सलाहकार/प्रधानचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 संस्थानों को निर्धारित प्रोफार्मा में शिक्षुओं की पूर्व सूचना एंव दस्तावेज इस वित्त वर्ष में हर महीने भेजे ताकि शिक्षुओं को समय पर स्टाईफंड की अदायगी हो सके।

सलंग्न/उपरोक्त

अति0 श्रम आयुक्त (प्रशा0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

List of DDO

Sr. No.	DDO's Name
1	Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh
2	Deputy Labour Commissioner, Panchkula
3	Assistant Labour Commissioner, Ambala
4	Dy. Director, Industrial Safety and Health Ambala
5	Assistant Labour Commissioner, Yamuna Nagar-I
6	Assistant Director, Industrial Safety and Health,Yamuna Nagar -I
7	Assistant Labour Commissioner, Kurukshetra
8	Assistant Director, Industrial Safety and Health Kurukshetra
9	Assistant Labour Commissioner, Karnal
10	Assistant Director, Industrial Safety and Health Karnal
11	Dy. Director, Industrial Safety and Health Panipat
12	Deputy Labour Commissioner, Panipat
13	Deputy Director, Industrial Health Faridabad
14	Deputy Director, Industrial Safety and Health Faridabad
15	Deputy Labour Commissioner, Faridabad
16	Deputy Director, Industrial Safety and Health, office of Additional Labour Commissioner, NCR Gurgaon.
17	Deputy Labour Commissioner ,Gurgaon-I
18	Deputy Labour Commissioner ,Gurgaon-II
19	Deputy Director, Industrial Safety and Health ,Gurgaon-I
20	Deputy Director, Industrial Health , Gurgaon-II
21	Assistant Labour Commissioner, Rewari
22	Assistant Director, Industrial Safety and Health ,Rewari
23	Assistant Labour Commissioner, Jhajjar at Bahadugarh
24	Assistant Labour Commissioner, Sonepat-I
25	Assistant Director, Industrial Safety and Health ,Sonipat.
26	Deputy Labour Commissioner, Rohtak
27	Assistant Director, Industrial Safety and Health ,Rohtak
28	Assistant Labour Commissioner, Bhiwani
29	Assistant Director, Industrial Safety and Health , Bhiwani
30	Deputy Labour Commissioner ,Hisar
31	Deputy Director, Industrial Health ,Hisar
32	Assistant Labour Commissioner, Sirsa
33	Assistant Director, Industrial Health Sirsa
34	Assistant Labour Commissioner, Kaithal
35	Assistant Labour Commissioner, Jind
36	Assistant Labour Commissioner, Palwal
37	Presiding Officer, Labour Courts, Ambala
38	Presiding Officer, Labour Courts, Panipat
39	Presiding Officer, Labour Courts, Rohtak
40	Presiding Officer, Labour Courts, Faridabad-I
41	Presiding Officer, Labour Courts, Faridabad-II
42	Presiding Officer, Labour Courts, Faridabad-III
43	Presiding Officer, Labour Courts, Gurgaon-I
44	Presiding Officer, Labour Courts, Gurgaon-II
45	Presiding Officer, Labour Courts, Hisar
46	Assistant Director, Industrial Health-cum-Certifying Surgeon, Ambala
47	Assistant Director, Industrial Health-cum-Certifying Surgeon, Hisar
48	Assistant Director, Industrial Health-cum-Certifying Surgeon, Panipat
49	Assistant Director, Industrial Health-cum-Certifying Surgeon, Gurgaon
50	Assistant Director, Industrial Health-cum-Certifying Surgeon, Faridabad
51	Assistant Labour Commissioner, Mewat at Nuh

Skill Development and Industrial Training Department
Haryana, Chandigarh.
Phone: 0172-2722542, E-mail: aaa.itiharyana@gmail.com

Most urgent / Issued through email only

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा राज्य में।
2. मण्डल आयुक्त, अंबाला, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, करनाल एवं रोहतक, हरियाणा राज्य में।
3. सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।

यादि कमांक:- TA/NAPS/2016/Stipend/ 1489-91 दिनांक:- 02-01-2018

विषय: (i) Engagement of Apprentices under Apprenticeship Act-1961.
(ii) Payment of stipend to the apprentices engaged under Apprenticeship Act-1961 / National Apprenticeship Promotion Scheme, Government of India.

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के पत्र क्रमांक TA/NAPS/ 2016/ Stipend/1116 -1119 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा राज्य के विभागों में 15,000 शिशु नियुक्त करने के लिए वर्तमान वित वर्ष 2017–18 के दौरान स्टाईफंड भुगतान हेतू 31.64 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है। इस विभाग के बजट हैड में सभी विभागों में लगे शिक्षुओं को स्टाईफंड का भुगतान हेतू यह बजट रखा गया है।

इस विभाग द्वारा उपरोक्त बजट का वितरण करने हेतू राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय आई0टी0आई0 संस्थानों के प्रधानाचार्य जो कि सहायक शिक्षुता सलाहकार घोषित हैं, को उनके जिले में विभागों के मुख्यालय/कार्यालयों में नियुक्त शिक्षुओं को स्टाईफंड का भुगतान करने हेतू अधिकृत कर दिया गया है। राज्य के विभागों के संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय में लगे शिक्षुओं की सलग्न प्रोफार्मा में विस्तृत सूचना, कॉन्ट्रैक्ट बॉड, आधार कार्ड की प्रति, हरियाणा स्थाई निवासी प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता पासबुक की प्रति सहित, जिले के सहायक शिक्षुता सलाहकार को प्रेषित करेंगे तथा सहायक शिक्षुता सलाहकार योग्य शिक्षुओं को उनके स्टाईफंड की राशि शिक्षुओं के आधार सीडीड बैंक खाते में ऑनलाईन भेजेंगे। केवल सरकारी विभागों में दिनांक 01.12.2017 के बाद से नियुक्त शिक्षुओं को ही इस विभाग द्वारा निर्धारित स्टाईफंड की राशि का ही भुगतान किया जाएगा। सभी विभागों के कार्यालय स्टाईफंड राशि भुगतान संबंधी एक विशेष रजिस्टर लगाकर प्रत्यके शिशु का विवरण दर्ज कर तथा पूर्ण रिकार्ड रखेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने निदेशालय/कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त शिक्षुओं के स्टाईफंड वितरण हेतू उपरोक्त अनुसार संबंधित जिला मुख्यालय पर सहायक शिक्षुता सलाहकार /प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 संस्थानों को निर्धारित प्रोफॉर्मा में शिक्षुओं की पूर्ण सूचना एवं दस्तावेज इस वित्त वर्ष में हर महीने भेजने बारे निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि शिक्षुओं को स्टाईफंड की अदायगी समय पर की जा सके।

यह आपके सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलंग्नः– प्रोफॉर्मा

संजीव शर्मा
2.01.2018
उप शिक्षुता सलाहकार,
कृतेः निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ।

पृ० क्र०-: TA/NAPS/2016/Stipend/ 1492-93 दिनांकः- 02-01-2018

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैं:-

1. राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर सहायक शिक्षुता सलाहकार/ प्रधानाचार्य, राजकीय आई०टी०आई० संस्थानों को भेजते हुए निर्देश दिए जाते है कि सरकारी विभागों के कार्यालयों में दिनांक 01.12.2017 के बाद से नियुक्त शिक्षुओं को निर्धारित स्टाईफंड की राशि का भुगतान उपरोक्त अनुसार संबंधित कार्यालय अध्यक्षों से सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त होने पर परमअग्रता से किया जाए तथा यदि इससे पूर्व समय का कोई केस प्राप्त होता है तो निदेशालय से पूर्व अनुमति ली जाए। स्टाईफंड राशि भुगतान केवल सरकारी विभागों में लगे शिक्षुओं को ही किया जाए। स्टाईफंड राशि भुगतान संबंधी एक विशेष रजिस्टर लगाकर प्रत्यके शिक्षु का विवरण दर्ज किया जाए तथा पूर्ण रिकार्ड रखा जाए। आपको State Scheme Non Recurring के तहत 12-Scholarship and Stipend मद में, 25.00 लाख रूपए का बजट तुरंत आवंटित किया जा रहा है। अतिरिक्त राशि के लिए वास्तविक मांग निदेशालय पर दिनांक 10.01.2018 तक भेजना सुनिश्चित किया जाए।
2. वित एवं योजना अधिकारी, मुख्यालय को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य में प्रत्येक सहायक शिक्षुता सलाहकार/ प्रधानाचार्य, राजकीय आई०टी०आई० संस्थानों को State Scheme Non Recurring के तहत 12-Scholarship and Stipend मद में, 25.00 लाख रूपए का बजट तुरंत आवंटित कर दिया जाए।

संजीव शर्मा
2.01.2018
उप शिक्षुता सलाहकार,
कृतेः निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ।

C.C.:

PA /DSD&IT
PS/PSSD&IT,

Nodal Officer IT for uploading on website.

Apprentices Stipend Demand Proforma

Name of Department/ Office: **Place:**

Sr. No	Name of the apprentice and Father Name	Aadhar No.(Attach copy)	Trade	Contract bond no. (Please attach attested copy)	Rate of stipend 70/80/90%	Period for which stipend is to paid		No of days present	Stipend to be paid	Bank Name and IFSC No.	Account No. Attach photocopy of pass book
						From	To				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
								Total		Rs..	

Certificate

It is certified that the above apprentices are working in our office and we have not paid any stipend to them. Above information has been checked and is correct. It is recommeded to release the stipend as above in their bank accounts.

The above apprentices are permanent resident of Haryana (Haryana domicile copy attached)

( )
Signature of Nodal Officer of department/ office
Name of Nodal Officer:-

( )
Signature of Head of Office/ DDO

The contract bond of the above apprentices have been approved by AAA. The necessary entried have been made in the record of payment of stipend.

Signature of: AI JAPO APO

Accounts Section in ITI

Signature/ Report of Accountant

Signature of DDO/ AAA